न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 45/2015

अपीलांट

1. भंवरसिंह वल्द किस्तुरजी
2. किशनसिंह वल्द किस्तुरजी
3. श्रीमती नाजुकंवर बेवा किस्तुरजी जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण बाला तहसील व जिला पाली
4. श्रीमती वदीया पुत्री किसतुरजी पत्नी मोहनसिंहजी
5. श्रीमती कन्या पुत्री किस्तुरजी पत्नी नंदूसिंहजी
6. श्रीमती सीता पुत्री किस्तुरजी पत्नी लादूसिंहजी जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण झूपेलाव तहसील सोजत जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्रीमती भंवरकंवर पत्नी ईश्वरसिंहजी
2. श्रीमती उषबकंवर पत्नी रघुवीरसिंहजी जातिगण राजपूत निवासीगण हेमावास तहसील व जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली तहसील व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मदनदास वैष्णव विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2010 बउनवान भंवरकंवर बनाम भंवरसिंह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बाला तहसील पाली के खसरा नंबर 29 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 540 रकबा 6 बिस्वा, किस्म गै.मु. बैरा एवं खसरा नंबर 541 रकबा 46 बीघा 5 बिस्वा किस्म चाही सोयम कुल रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदारी घोषणा के आदेश प्रदान किये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के वाद का अपीलांट संख्या 01 से 03 की ओर द्वारा दिनांक 15.02.11 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली अपीलांट संख्या 04 से 06 की तलबी हेतु नियत थी। इसके पश्चात दिनांक 16.07.2014 को अंडरटेकिग ली जाकर दिनांक 11.11.2014 को वकालतनामा अपीलांट संख्या 04 से 06 की ओर से वकालतानाम प्रस्तुत किया गया, तथा पत्रावली वास्ते जवाबदावा हेतु दिनांक 23.07.2015 को नियत की गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसके तहत पत्रावली दिनांक 11.06.2015 को नियत की गई। उक्त कैम्प कोर्ट में के वल मात्र अपीलांट भंवरसिंह की उपस्थिति दर्ज कर शेष अपीलांटगण संख्या 02 से 06 की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई, एवं अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज करने के आदेश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली अपीलांट संख्या 04 से 06 के जवाबदावे हेतु नियत थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना विधिक प्रावधानो की पालना किये, तनकीयात कायम किये, न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उडाते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात् को साक्ष्य में पढते हुए अवैध व शून्यवृत्त जैर अपील व निर्णय डिक्री पारित की है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एक वाद संख्या 27/08 स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उपरोक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा अपीलांट्स के पक्ष में पारित करने का आदेश प्रदान किया गया था। जिसे दिनांक 20.07.2010 को रेस्पोडेन्ट के आवेदन आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी पर सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स की ओर से माननीय राजस्व मंडल के समक्ष एक निगरानी संख्या 4528/10 प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में लंबित है। उपरोक्त निगरानी याचिका में दिनांक 10.08.2010 को राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत आदेश पारित किये हुए है। जो वर्तमान में आगामी पेशी दिनांक 29.10.2015 तक स्थगन आदेश बढाया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को भी उपरोक्त स्थगन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की पूर्णतया जानकारी है। वादग्रस्त आराजी पर ढलसिंह व चतुर्भुजजी का कभी कब्जा नहीं रहा है, एवं न ही चतुर्भुजजी के पुत्र प्रेमसिंहजी एवं न ही लीला का कब्जा रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउण्टर क्लेम बाबत खातेदारी घोषणा का पेश किया गया था, साथ ही उक्त काउण्टर क्लेम में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया था कि लीला, जिसने अपने आपको चतुर्भज की पुत्री बताते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में विक्रय–पत्र निष्पादित किया है, यह चतुर्भुजजी की पुत्री नहीं है और फर्जी पुत्री बनते हुए बिना आधिपत्य के ही विक्रय–पत्र निष्पादित किया है, जिस संबध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश प्रभाव में है। वादग्रस्त आराजी के संबध में अपने हिस्से बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 66/01 उपरोक्त लीला तथाकथित पुत्री चतुर्भजजी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 27.09.04 को खारिज हो चुका है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों का नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– (1) 2008(1) डी.एन.जे पेज नंबर 92 (2) 2013(2) डी.एन.जे. पेज नंबर 440 (3) 2011(1) आर.आर.टी पेज नंबर 513 (4) 2011(2) आर.आर.टी पेज नंबर 1006 (5) 2008(1) आर.आर.टी पेज नंबर 825 (6) 2018 आर.आर.टी पेज नंबर 864 (3) 2012 आर.आर.डी पेज नंबर 318

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बाला तहसील पाली के खसरा नंबर 29 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 540 रकबा 6 बिस्वा, किस्म गै.मु. बैरा एवं खसरा नंबर 541 रकबा 46 बीघा 5 बिस्वा किस्म चाही सोयम कुल रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के दादा जीवाजी की पुश्तैनी आराजी थी। जो उनके देहान्त के पश्चात उनके वारिसान किस्तुरा, ढलसिंह, चतुर्भुज के नाम दर्ज हुई। उसके पश्चात किस्तुरा के देहान्त के पश्चात अपीलांट संख्या 01 से 06 उनके वारिसान के रूप मे 1/3 हिस्से पर आज दिनांक तक काश्त कर रहे है। ढलसिंह द्वारा अपने हक हिस्से की 1/3 आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भंवरकंवर को जरिये रजिस्टर्ड बेचाण दस्तावेज दिनांक 13.02.2008 के बेचान कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को दिनांक 13.02.2008 को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा सुपुर्द किया। एवं चतुर्भुज का देहान्त होने के पश्चात उनके वारिसान प्रेमसिंह, एवं पुत्र लीला राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया। उसके पश्चात प्रेमसिंह पुत्र चतुर्भुज लाऔलाद फौत होने से लाल चतुर्भुज की एकमात्र उतराधिकारी रही। एंव लीला ने अपने हक हिस्से की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

सम्पूर्ण 1/3 आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को रजिस्टर्ड बंचाण दस्तावेज दिनांक 13.02.2008 को कर दिनांक 13.02.2008 को उक्त आराजी का कब्जा सुपुर्द कर दिया। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट एवं वक्त बेचान से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का निरन्तर कब्जा काश्त है। अपीलांट संख्या 01 से 03 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद के जवाब में जवाबदावा एवं काउण्टरक्लेम प्रस्तुत किया। जिसका आधार यह था कि जीवाजी के 2 पुत्र ढलसिंहजी एवं चतुर्भुजजी उनके जीवनकाल में ही ग्राम बाला छोडकर पाली आ गये थे। जिससे जीवाजी के जीवन काल में ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा काश्त रहा है। एवं पिता के देहान्त के पश्चात अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टगण एवं पूर्व विक्रेतागण के संपूर्ण वादग्रस्त आराजी में वर्णित समस्त हक–हकूक कब्जा नहीं होने के आधार पर और 12 वर्षो की अवधि के दौरान कब्जा प्राप्ति की किसी प्रकार की कार्यवाही नही किये जाने के कारण धारा 63 (1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्वापित हो चुके है। एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके है। किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 27/2008 भंवरसिंह बनाम ढलसिंह व अन्य प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पर शांति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने निवेदन किया गया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा अपीलांट्स के पक्ष में पारित करने का आदेश प्रदान किया गया था। जिसे दिनांक 20.07.2010 को रेस्पोडेन्ट के आवेदन आदेश 39 नियम 4 सी.पी.सी पर सुनवाई कर अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स की ओर से माननीय राजस्व मंडल के समक्ष एक निगरानी संख्या 4528/10 प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में लंबित है। उपरोक्त निगरानी याचिका में दिनांक 10.08.2010 को राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत आदेश पारित किये हुए है। किन्तु माननीय राजस्व मंडल द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में बंटवाडा न करने हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये है। जिससे उक्त स्थगन आदेश से जैर अपील निर्णय व डिक्री किसी भी रूप से प्रभावित नहीं है। अपीलांटगण केवल मात्र विवाद को बढाने हेतु प्रयासरत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमावे। अपने कथनो के समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– (1) 2011(2) आर.आर.टी. पेज 721 (2) 2001 आर.बी.जे. पेज 534 (3) 1994 आर.आर.डी. पेज 85 (4) 1995 डी.एन.जे पेज 38 (5) 1993 आर.आर.डी. पेज 505

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बाला तहसील पाली के खसरा नंबर 29 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 540 रकबा 6 बिस्वा, किस्म गै.मु. बैरा एवं खसरा नंबर 541 रकबा 46 बीघा 5 बिस्वा किस्म चाही सोयम कुल रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में निम्न कानूनी बिन्दु उद्भूत होते है (1) क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है ? (2) क्या सहखातेदार बिना आपसी सहमति एवं बिना बंटवाडे करवाये वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से को बेचान करने हेतु स्वतंत्र है ? (3) क्या पुश्तैनी आराजी के संबध में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के समय कब्जा आवश्यक है ? इसके अतिरिक्त प्रकरण से संबधित उद्भूत होने वाले समस्त कानूनी बिन्दुओ को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय व डिक्री लोक अदालत कैम्प पारित की गई है। इस संबध में आर. आर.टी पेज नंबर 1006 गुरमीतसिंह व अन्य बनाम मलकीयात कोर व अन्य में प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 41, नियम 31– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 88 व 53 –विभाजन एवं घोषणा हेतु वाद–राजस्व अपील प्राधिकारी ने 5 बीघा भूमि में 'एच' के पुत्रो का बराबर हिस्सा घोषित किया–द्वितीय अपील–विवाद बिन्दु विरचित नहीं किये–प्रत्येक तनकी पर निर्णय नहीं दिया–निर्णीत, पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है व अपास्त किया तथा पुनः निर्णय हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया।" इसी प्रकार 2018 आर.आर.टी पेज नंबर 864 परमेश्वरी देवी बनाम मानाराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88 व 188 –खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद–वाद डिक्री किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त किया तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया और दोनो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देनो के बाद निर्णीत करने का निर्देश दिया–रेस्पोडेन्टगण को सुने बिना कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय वाद डिक्री किया– 14.03.2017 का तामील हेतु नियत था और 18.05.2017 को निर्णीत किया– प्रकरण को लोक अदालत में रखने को रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस नहीं दिया–निर्णीत आदेश में अवैधता नहीं है।" इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में समान पक्षकारो के मध्य पूर्व में वादग्रस्त आराजी के संबध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में वाद लम्बित था, जिसे 151 सी.पी.सी के तहत पश्चातवर्ती वाद को पूर्व वाद के संलग्न किया जाना था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त सभी बिन्दुओ पर तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये, उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2010 बउनवान भंवरकंवर बनाम भंवरसिंह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पश्चातवर्ती वाद संख्या 27/08 को उक्त वाद के साथ संलग्न कर अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली